

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)
प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

68-राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्वाचन
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में
अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण, में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री जौहरीलाल मीना (नाम) ग्राम- पाड़ा बास सुईला पोस्ट पाड़ा तहसील रैणी जिला अलवर

(पता (जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए / की गई)
उपयुक्त निर्वाचन - क्षेत्र से उस एदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए / गई हैं

स्थान - अलवर
तारीख - 11-12-2018


(विश्वामित्र मीना)
रिटर्निंग ऑफिसर
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,
68-राजगढ़-लक्ष्मणगढ़

रिटर्निंग ऑफिसर (SDM)
(068) राजगढ़ - लक्ष्मणगढ़

Conduct of Election Rules, 1961
(Statutory Rules Order)
FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)


Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the legislative Assembly from the 068 - RAJGARH-LAXMANGARH constituency
In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representative of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Sh. Johari Lal Meena (Name) VILL. Pada Bas Suila, Post. Pada Tehsil Reni District Alwar PIN
301408 (RAJ.) (Address)

[sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognised/ registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

PLACE:- ALWAR
DATE:- 11-12-2018


(VISHWAMITRA MEENA)
Returning officer
Constituency

रिटर्निंग ऑफिसर (SDM)
(068) राजगढ़ - लक्ष्मणगढ़